

सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वालों पर निगम की टीम ने की कार्यवाही, लाँकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वाले से वसूला गया जुर्माना

भिलाईनगर/ कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के तहत घर से बाहर निकलने वाले सभी व्यक्तियों मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना है। लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन सख्त कार्यवाही कर रहा है। निगम के सभी जोनों के राजस्व विभाग की टीम सार्वजनिक स्थान पर थूकने व मास्क पहने बिना निकलने वाले तथा सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड की कार्यवाही कर रही है। निगम की टीम बाजार क्षेत्र , सार्वजनिक क्षेत्र एवं दुकानों का निरीक्षण कर रहे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही कर रहे हैं। दो दिनों में निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 57 लोगों से 6550 रूपए अर्थदंड वसूला गया। जोन क्रं. 01 के नेहरू नगर क्षेत्र में 04 लोगों से 700 रूपए, जोन क्रं. 02 वैशालीनगर में 32 लोगों से 2750 रूपए, जोन क्रं. 03 मदरटेरेसा नगर क्षेत्र में 04 लोगों से 400 रूपए, जोन क्रं. 04 शिवाजी नगर क्षेत्र में 10 लोगों से 1100 रूपए तथा जोन क्रं. 05 में 07 लोगों से 1400 रूपए अर्थदंड वसूली की गई।

